


पत्रावली नं. 71/2023

22/12/2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर लोक अदालत की भावना से विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने विद्वा हेतु सहमति व्यक्त की। अतः वकील प्रार्थी के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

